



हीफर रियरिंग फार्म

उत्तराखण्ड लाईव स्टॉक डेवलेपमेंट बोर्ड

पशुलोक ऋषिकेश देहरादून-249202

हीफर रियरिंग फार्म -ईमेल-pdhrfarm@gmail.com

पत्रांक 522 /ट्रेक्टर नीलाम/23-24/दिनांक 21 सितम्बर 2023

सार्वजनिक नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हीफर रियरिंग फार्म पशुलोक ऋषिकेश जनपद-देहरादून-249202 के दो निष्प्रोज्य ट्रेक्टरों UP07C/5477FARMA TRKE-60 मॉडल-1997 एवं UP07C/0598FORD-3600 मॉडल-1993 का नीलाम "जैसा है जहा है " के आधार पर अनुमानित स्केप भार एवं अनुमानित बाजार भाव पर किया जाना है नीलामी की अधिक जानकारी के सम्बन्ध में मो0नम्बर परियोजना निदेशक -8755552606 प्रशासनिक अधिकारी-7906546077 से सम्पर्क किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त ट्रेक्टरों के सीलबन्द भाव के टेण्डर दिनांक 10 अक्टूबर 2023 की पूर्वान्ह 12.00 बजे तक आमन्त्रित करते हुये टेण्डर बॉक्स में डाले जायेंगे तथा जो उसी दिन अपरान्ह 3.00 बजे विक्रय समिति के समक्ष खोले जायेंगे, तथा टेण्डर फार्म दिनांक 10 अक्टूबर 2023 की पूर्वान्ह 11.00 बजे तक रूपये 118.00 (18 प्रतिशत जी.एस.टी. शामिल) नकद भुगतान पर कार्यालय से कय किये जा सकते हैं तथा प्रत्येक ट्रेक्टर के टेण्डर फार्म कय करते समय प्रत्येक ट्रेक्टर की अरनेस्ट मनी रूपये 5000.00 (पांच हजार मात्र) कार्यालय में नकद अथवा यू0एल0डी0बी0 के नाम देहरादून में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा कराना अनिवार्य है इसके साथ ही यह भी सूचित होंगे कि अंकित भाव कय किये गये टेण्डर फार्म पर ही स्वीकार्य होगा। इसके साथ ही टेण्डर द्वारा प्राप्त भाव न्यूनतम पाये जाने पर विक्रय समिति को उन टेण्डर दाताओं जिनके द्वारा कार्यालय से कय किये टेण्डर फार्म पर भाव अंकित कर टेण्डर बॉक्स में डाले गये हैं उन्हीं से राजकीय/राजस्व हित में खुली बोली करायी जा सकती है जिसमें किसी टेण्डर दाता/बोली दाता की कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। तथा नीलामी की शर्तें सम्बन्धित कार्यालय एवं यू0एल0डी0बी0 की वेबसाईट www.uldb.org पर देखी जा सकती है।

(डा0 राजेन्द्र मठपाल)
परियोजना निदेशक



हीफर रियरिंग फार्म

उत्तराखण्ड लाईव स्टॉक डेवलेपमेंट बोर्ड

पशुलोक ऋषिकेश देहरादून-249202

हीफर रियरिंग फार्म -ईमेल-pdhrfarm@gmail.com

पत्रांक 521 / ट्रेक्टर एवं कृषि इम्पली0 नीलाम पत्रा0 /2023-24 / दिनांक 21 सितम्बर 2023

सार्वजनिक नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हीफर रियरिंग फार्म पशुलोक ऋषिकेश जनपद-देहरादून-249202 के दो निष्प्रोज्य राजकीय ट्रेक्टरों का नीलाम "जैसा है जहा है" के आधार पर अनुमानित स्केप भार एवं अनुमानित बाजार भाव पर किया जाना है तथा नीलामी की अधिक जानकारी के सम्बन्ध में मो0नम्बर परियोजना निदेशक -8755552606 प्रशासनिक अधिकारी-7906546077 से सम्पर्क किया जा सकता है।

क्रम संख्या	ट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन नम्बर	मॉडल	ट्रेक्टर का वजन रजिस्ट्रेशन पत्र के अनुसार	अभियुक्ति
1	UP07C/5477 FARMA TRKE-60	1997	1875 किग्रा.	ट्रेक्टरों को किसी भी कार्य दिवस में प्रक्षेत्र पर देखा जा सकता है।
2	UP07C/0598 FORD-3600	1993	1805 किग्रा.	

उपरोक्त ट्रेक्टरों के सीलबन्द भाव के टेण्डर दिनांक 10 अक्टूबर 2023 की पूर्वान्ह 12.00 बजे तक आमन्त्रित करते हुये टेण्डर बॉक्स में डाले जायेंगे तथा जो उसी दिन अपरान्ह 3.00 बजे विक्रय समिति के समक्ष खोले जायेंगे, तथा टेण्डर फार्म दिनांक 10 अक्टूबर 2023 की पूर्वान्ह 11.00 बजे तक रूपये 118.00 (18 प्रतिशत जी.एस.टी. शामिल) नकद भुगतान पर कार्यालय से किये जा सकते हैं तथा प्रत्येक ट्रेक्टर के टेण्डर फार्म कय करते समय प्रत्येक ट्रेक्टर की अरनेस्ट मनी रूपये 5000.00 (पांच हजार मात्र) कार्यालय में नकद अथवा यू0एल0डी0बी0 के नाम देहरादून में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा कराना अनिवार्य है इसके साथ ही यह भी सूचित होंगे कि अंकित भाव कय किये गये टेण्डर फार्म पर ही स्वीकार्य होगा। इसके साथ ही टेण्डर द्वारा प्राप्त भाव न्यूनतम पाये जाने पर विक्रय समिति को उन टेण्डर दाताओं जिनके द्वारा कार्यालय से कय किये टेण्डर फार्म पर भाव अंकित कर टेण्डर बॉक्स में डाले गये हैं उन्हीं से राजकीय/राजस्व हित में खुली बोली करायी जा सकती है जिसमें किसी टेण्डर दाता /बोली दाता की कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

नीलामी शर्त:-

1- निष्प्रोज्य ट्रेक्टर जैसा है जहां है के आधार पर नीलाम किये जायेंगे ।

2- नीलामी के भाव स्वीकृत होने पर कुल भाव की 25 प्रतिशत धनराशि तत्काल नकद रूप से कार्यालय में जमा करानी होगी जिसकी प्राप्ति रसीद कार्यालय द्वारा टेण्डरदाता/बोलीदाता को प्रदत्त की जायेगी तथा अवशेष राशि नीलामी की तिथि से आगामी 05 दिवस के भीतर जमा करायी जानी आवश्यक है तथा नीलाम किये गये ट्रेक्टर को उठाने के आदेश मिलने पर स्वयं के व्यय पर प्रक्षेत्र से बाहर निकालना आवश्यक होगा, समय पर अवशेष राशि जमा न किये जाने की दशा में जमा अरनेस्ट मनी रूपये 5000.00 एवं 25 प्रतिशत जमा धनराशि राजकीय हित में जब्त कर दी जायेगी जिसमें टेण्डरदाता/बोली दाता का किसी प्रकार का ऐतराज मान्य नहीं होगा ।

3- नीलामी स्वीकृत/अस्वीकृत एवं तिथि बढ़ाने का अधिकार विक्रय समिति के पास सुरक्षित रहेगा इसमें किसी प्रकार का विवाद होने पर वाद का निर्णय विक्रय समिति अथवा मुख्य अधिशासी अधिकारी यू0एसल0डी0बी0 मुख्यालय का ही मान्य होगा ।

कमश: 02 पर

परियोजना निदेशक
हीफर रियरिंग फार्म, पशुलोक, ऋषिकेश

- 4- प्रत्येक निष्प्रोज्य ट्रेक्टर का टेण्डर फार्म अलग-अलग कय करते हुये प्रत्येक ट्रेक्टर के सापेक्ष रूपये 5000.00 (पांच हजार मात्र) की अरनेस्ट मनी नगद रूप से कार्यालय मे जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।
- 5- सील बन्द टेण्डर भाव उचित प्रतीत न होने की दशा मे विक्रय समिति का अधिकार सुरक्षित होगा कि जिन टेण्डरदाताओ द्वारा टेण्डर डाले गये है उन्ही से राजकीय एवं राजस्व हित मे खुली बोली करायी जा सकती है जिसमे किसी टेण्डरदाता को कोई ऐतराज मान्य नही होगा।
- 6- नीलाम किये ट्रेक्टर के कुल भाव पर जी0एस0टी0 नियमानुसार टेण्डरदाता/बोलीदाता को अतिरिक्त देना होगा।
- 7- नीलाम किये जाने वाले उक्त ट्रेक्टरों को किसी भी कार्य दिवस मे प्रक्षेत्र पर आकर देखा जा सकता है।
- 8- निष्प्रोज्य ट्रेक्टर का नीलाम रजिस्ट्रेशन पत्र मे अंकित वजन/अनुमानित भार (स्केप) के अनुमानित बाजार भाव के अनुसार किया जायेगा।
- 9- निष्प्रोज्य उक्त संदर्भित ट्रेक्टरों का नीलाम स्केप के रूप ही किया जायेगा जिसका चालन करना पूर्ण अवैध होगा तथा नीलाम किये गये ट्रेक्टर के साथ रजिस्ट्रेशन पत्र (आर0सी0) नही दी जायेगी।
- 10- नीलामी के समय प्रक्षेत्र के अन्दर किसी प्रकार का असलाह एवं हथियार लाना पूर्ण रूप से निषेध रहेगा। यदि किसी के पास उक्त सामग्री पायी जाती है तो उसकी सूचना तत्काल विभाग द्वारा पुलिस को दे दी जायेगी। तथा उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।
- 11- नीलामी के समय टेण्डर दाताओं का उपस्थित होना आवश्यक है। यदि अनुपस्थित टेण्डर दाता के भाव उच्च प्राप्त होते है तथा दूरभाष पर सम्पर्क न होने की दशा मे उसको निरस्त करते हुये द्वितीय भाव वाले उपस्थित टेण्डरदाता को नीलामी का अवसर प्रदान किया जायेगा।

(डा0 राजेन्द्र मठपाल)
परियोजना निदेशक

पत्रांक 521 / ट्रेक्टर एवं कृषि इम्पली0 नीलाम पत्रा0 /2023-24/ दिनांक 21 सितम्बर 2023

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री भोपाल सिंह चारा सहायक ग्रुप-2 /प्रभारी कृषि अनुभाग हीफर रियरिंग फार्म पशुलोक ऋषिकेश का इस निर्देश के साथ कि नीलामी की तिथि से पूर्व सूचना पत्र मे उल्लेखित निष्प्रोज्य ट्रेक्टरों को व्यवस्थित करना सुनिश्चित करे ताकि नीलामी के समय किसी प्रकार की असहज स्थिति का सामना न करना पडे। तथा प्रक्षेत्र पर प्रत्येक दशा मे उपस्थित रहेगे।
2. मुख्य पशुचिकित्साधिकारी नरेन्द्र नगर टिहरी।
3. मुख्य अधिशासी अधिकारी यू0एल0डी0बी0 मुख्यालय देहरादून।
4. अपर निदेशक पशुपालन विभाग गढवाल मण्डल पौडी।
5. उप जिलाधिकारी ऋषिकेश।
6. प्रभारी पुलिस चौकी आई0डी0पी0एल0 वीरभद्र ऋषिकेश देहरादून को इस आशय से कि संदर्भित तिथि को शान्ति व्यवस्था हेतु पुलिस बल भेजने का कष्ट करे।
7. सम्भाय परिवहन अधिकारी ऋषिकेश देहरादून।
8. निदेशक पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
9. डा0 जी0डी0जोशी सयुक्त निदेशक (यू.एल.डी.बी. प्रशि0 केन्द्र)/अध्यक्ष -नीलाम कमेटी यू0एल0डी0बी0 देहरादून एवं डा0 विशाल शर्मा प0चि0अ0ग्रेड-1 सदस्य- नीलाम कमेटी यू.एल.डी.बी. दे0दून
10. वरिष्ठ वित्त अधिकारी निदेशालय पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
11. नोटिस बोर्ड हीफर रियरिंग फार्म पशुलोक/ नगर निगम ऋषिकेश/तहसील ऋषिकेश।

(डा0 राजेन्द्र मठपाल)
परियोजना निदेशक